न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर धौलपुर

अपील मुकदमा नम्बर :– 50/2021 (जी सी एम एस नम्बर 2021/121)

उनवानी प्रकरण :–

लालसिंह पुत्र अजमेरसिंह उम्र करीब 35 वर्ष जाति लोधा निवासी ग्राम खेरली तहसील मंनिया जिला धौलपुर ----------अपीलान्ट

बनाम्

1–विधावती पत्नी भागीरथ जाति ब्राहम्ण नि0 ग्राम खेरली तह0 मंनिया जिला धौलपुर
2–पोखीराम पुत्र धनपाल जाति लोधा नि0 ग्राम खेरली तह0मंनिया जिला धौलपुर
3–तहसीलदार धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर ----------रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 30.10.2018
बावत नामान्तकरण प्रार्थना पत्र लालसिंह, प्रा0पत्र संख्या 29/2017 पर तहसीलदार धौलपुर द्वारा पारित आदेश

उपस्थिति :
अपीलान्ट की ओर से :– श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट सं0 1 की ओर से :– श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट सं0 2 की ओर से :– श्री रंजीतसिंह लोधा एडवोकेट
रेस्पोडेण्ड सं0 3 की ओर से :– पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक : 12.02.2025

प्रस्तुत अपील, अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के आधार पर पेश की गई है कि गनपत व भीखाराम द्वारा एक दावा विभाजन का आराजी खसरा नम्बर 1501, 1530, 3530 के हाल बटे नम्बर 3498/3334 व इसका हाल खसरा नम्बर 3499/3334 तथा अन्य आराजीयात के साथ न्यायालय एस.डी.ओ. धौलपुर में मुकदमा नम्बर 315/91 उनवानी गनपत वगैरा बनाम दौलतराम वगैरा दायर किया जो दिनांक 08.10.2002 को हुआ डिक्री हुआ जिसकी अनुपालना में नामान्तकरण संख्या 2714 से अलग–अलग खाते व लगान पक्षकारों के कायम किये गये। नामान्तकरण संख्या 2714 से बटवारा को डिक्री व फैसला के अनुसरण में खसरा नम्बर 1501 रकवा 13 विस्वा, 1530 रकवा 02 वीधा 04 विस्वा जिसके हाल नम्बर 3498/3334 रकवा 14

जिला कलक्टर
धौलपुर

विस्वा, 3499/3334 रकवा 01 वीघा 08 विस्वा वाके ग्राम खेरली तहसील धौलपुर से बने। उक्त खसरा नम्बर 1501 रकवा 13 विस्वा व खसरा नम्बर 3399/3334 रकवा 01 वीघा 08 विस्वा ग्राम खेरली में से रेस्पो0 संख्या–2 पोखीराम ने अपना हिस्सा 1/6 जरिये विक्रय पत्र तारीखी 05.10.2005 को वहक रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 विद्यावती को विक्रय कर दिया जिसका नामान्तकरण संख्या 3157 से राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण दर्ज हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 विद्यावती ने उक्त खसरा नम्बर 1501 रकवा 13 विस्वा व खसरा नम्बर 3399/3334 रकवा 01 वीघा 08 अपीलान्ट को जरिये विक्रय पत्र तारीखी 04.06.2012 को विक्रय कर दिया। अपीलान्ट का नाम राजस्व अभिलेख में नामान्तकरण संख्या 3210 से दर्ज हुआ। न्यायालय एस.डी.ओ. धौलपुर के फैसला व डिक्री दिनांक 08.10.2002 की अपील न्यायालय आर.ए.ए. भरतपुर कैम्प धौलपुर में दायर हुई जो दिनांक 30.06.2011 को स्वीकार हुई तथा अधीनस्थ न्यायालय एस.डी.ओ. धौलपुर के फैसला व डिक्री दिनांक 08.10.2002 को निरस्त करते हुये पुनः फैसला हेतु रिमाण्ड की गई। पुनः मुकद्दमा न्यायालय एस.डी. ओ. धौलपुर में संस्थित हुआ जिसमें सुरेशचंद व केशवचंद ने प्रार्थना पत्र धारा 144 जा0दी0 का पेश कर फैसला व डिक्री दिनांक 08.10.2002 की पालना में डिक्री से पूर्व के इन्द्राजात बहाल करने के बावत पेश किया जिसे सुनकर न्यायालय एस.डी.ओ. धौलपुर ने दिनांक 04.03.2014 को डिक्री दिनांक 08.10.2002 के आधार पर जो नामान्तकरण संख्या 2714 तारीखी 30.10.2005 को पारित किया उसे निरस्त कर दिया गया। उक्त वाद गनपत व भीखाराम द्वारा वापिस ले लिया तथा कोई विवाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं रहा। अतः जो नामान्तकरण अपीलान्ट के हक में पूर्व में हो चुके थे उन्हें पुनः नामान्तकरण दर्ज करने बावत प्रार्थना पत्र अपीलान्ट ने तहसीलदार धौलपुर के यहाँ पेश किया कि खसरा नम्बर 1501 रकवा 13 विस्वा व खसरा नम्बर 3399/3334 रकवा 01 वीघा 08 विस्वा ग्राम खेरली अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट तलब की जिसमें उन्होने दिनांक 10.06.2017 को अपीलान्ट के हक में नामान्तकरण किया जाना उचित माना परन्तु इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण दर्ज नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किया कि नामान्तकरण संख्या 2714 निरस्त होने पर स्वीककृति नामान्तरण संख्या 3157 व 3210 प्रभावहीन हुये थे परन्तु उक्त वाद समाप्त हो गया तो पुनः केता अपीलान्ट के नाम दर्ज करने चाहिऐ थे जो नहीं करने में विधिक भूल की है। अपीलान्ट ने दिनांक 07.02.2020 को अदालत में पत्रावली के बावत जानकारी चाही तो अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 30.10.2018 को खारिज किया जाना बताया गया। अपीलान्ट ने तुरन्त उसी दिन नकल के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया तथा नकल दिनांक 13.02.2020 को प्राप्त हुई। जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश है। अतः अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश

जिला कलक्टर
धौलपुर

तारीखी 30.10.2018 को निरस्त किये जाने तथा अपीलान्ट के हक में विक्रय पत्रों के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में दस्जावेजी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित प्रति आदेश तारीखी 30.10.2018 न्याया0 तहसीलदार धौलपुर, प्रार्थना पत्र तारीखी 26.5.2017 लालसिंह मय रिपोर्ट पटवारी हल्का तारीखी 10.6.2017, बयान प्रमाणित प्रति लालसिंह, पेश किये है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलव किया गया। पत्रावली वहस हेतु नियत की गई।

सर्वप्रथम म्याद के बिन्दु पर दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक को सुना गया। अपील अपीलान्ट मियाद बाहर पेश की गई है। प्रार्थना पत्र के स्वीकार किये जाने पर रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक को कोई आपत्ति नहीं है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाता है। अपील अपीलान्ट गुणवगुण के आधार पर अपील का निर्णय किया जाना हम उचित समझते है।

बहस अन्तिम विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि गनपत व भीखाराम द्वारा एक दावा विभाजन का आराजी खसरा नम्बर 1501, 1530, 3530 के हाल बटे नम्बर 3498/3334 व इसका हाल खसरा नम्बर 3499/3334 तथा अन्य आराजीयात के साथ न्यायालय एस.डी.ओ. धौलपुर में मुकदमा नम्बर 315/91 उनवानी गनपत वगैरा बनाम दौलतराम वगैरा दायर किया जो दिनांक 08.10.2002 को हुआ डिक्री हुआ जिसकी अनुपालना में नामान्तकरण संख्या 2714 से अलग–अलग खाते व लगान पक्षकारों के कायम किये गये। नामान्तकरण संख्या 2714 से बटवारा को डिक्री व फैसला के अनुसरण में खसरा नम्बर 1501 रकवा 13 विस्वा, 1530 रकवा 02 वीधा 04 विस्वा जिसके हाल नम्बर 3498/3334 रकवा 14 विस्वा, 3499/3334 रकवा 01 वीधा 08 विस्वा वांके ग्राम खेरली तहसील धौलपुर से बने। उक्त खसरा नम्बर 1501 रकवा 13 विस्वा व खसरा नम्बर 3399/3334 रकवा 01 वीधा 08 विस्वा ग्राम खेरली में से रेस्पो0 संख्या–2 पोखीराम ने अपना हिस्सा 1/6 जरिये विक्रय पत्र तारीखी 05.10.2005 को वहक रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 विधावती को विक्रय कर दिया जिसका नामान्तकरण संख्या 3157 से राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण दर्ज हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 विधावती ने उक्त खसरा नम्बर 1501 रकवा 13 विस्वा व खसरा नम्बर 3399/3334 रकवा 01 वीधा

जिला कलक्टर
धौलपुर

08 विस्वा अपीलान्ट को जरिये विकय पत्र तारीखी 04.06.2012 को विकय कर दिया। अपीलान्ट का नाम राजस्व अभिलेख में नामान्तकरण संख्या 3210 से दर्ज हुआ। न्यायालय एस.डी.ओ. धौलपुर के फैसला व डिकी दिनांक 08.10.2002 की अपील न्यायालय आर.ए.ए. भरतपुर कैम्प धौलपुर में दायर हुई जो दिनांक 30.06.2011 को स्वीकार हुई। न्यायालय आर.ए.ए. भरतपुर कैम्प धौलपुर के निर्णय दिनांक 30.06.2011 से न्यायालय एस.डी.ओ. धौलपुर के निर्णय व डिकी दिनांक 08.10.2002 निरस्त की जाकर पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने का निर्णय हुआ जिसके तहत नामान्तकरण संख्या 2714 को निरस्त किया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल की गई। उक्त वाद गनपत व भीखाराम द्वारा वापिस ले लिया तथा कोई विवाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं रहा। अतः जो नामान्तकरण अपीलान्ट के हक में पूर्व में हो चुके थे उन्हें पुनः नामान्तकरण दर्ज करने बावत प्रार्थना पत्र अपीलान्ट ने तहसीलदार धौलपुर के यहॉ पेश किया कि खसरा नम्बर 1501 रकवा 13 विस्वा व खसरा नम्बर 3399/3334 रकवा 01 वीधा 08 विस्वा ग्राम खेरली अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट तलब की जिसमें उन्होने दिनांक 10.06.2017 को अपीलान्ट के हक में नामान्तकरण किया जाना उचित माना परन्तु इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण दर्ज नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किया कि नामान्तकरण संख्या 2714 निरस्त होने पर स्वीकृति नामान्तरण संख्या 3157 व 3210 प्रभावहीन हुये थे परन्तु उक्त वाद समाप्त हो गया तो पुनः केता अपीलान्ट के नाम दर्ज करने चाहिऐ थे जो नहीं करने में विधिक भूल की है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर विकय पत्रों के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

रेस्पोडेन्टस के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में अपीलान्ट के कथनों को स्वीकार करते हुये अपील स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की प्रस्तुत वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट ने यह अपील वयनामा दिनांक 05.10.2005 एवं वयनामा दिनांक 04.06.12 के आधार पर नामान्तकरण करने हेतु तहसीलदार धौलपुर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार धौलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2018 के विरूद्व पेश की है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि नामान्तकरण संख्या 3157 से बयनामा दिनांक 05.10.05 एवं नामान्तकरण संख्या 3210 से वयनामा दिनांक 04.06.12 का नामान्तकरण स्वीकृत हुआ है इससे पूर्व न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर के बटवारा निर्णय व डिकी दिनांक 08.10.2002 की अनुपालना में बयनामा में अंकित खसरा नम्बरान का विभाजन नामान्तकरण संख्या 2714 से किया गया है।

जिला कलक्टर
धौलपुर

तदोपरान्त न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर के निर्णय दिनांक 30.06.2011 से न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.10.2002 निरस्त की जाकर पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने का निर्णय हुआ है जिसके तहत न्यायालय उप खण्डाधिकारी धौलपुर के इजराय आदेश दिनांक 24.3.2014 की पालना में नामान्तकरण संख्या 2714 को निरस्त किया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल की गई है। नामान्तकरण संख्या 2714 के निरस्त होने पर इसके बाद के स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 3157 व 3210 प्रभावहीन हुये है। तहसीलदार का अपने आदेश में यह कहना कि पूर्व की स्थिति बहाल होने पर बयनामा एवं राजस्व अभिलेख का मिलान नहीं होता है, यह न्यायोचित नहीं है। अपीलान्ट के उक्त प्रार्थना पत्र में लालसिंह पुत्र अजमेरसिंह, दौलतराम पुत्र टीकाराम के जो बयान लिये गये है तथा पटवारी हल्का की जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अनुसार नामान्तकरण संख्या 2714 पुनः निर्णय के बाद निरस्त कर पूर्व की स्थिति अनुसार खसरा नम्बर 1501 रकवा 13 विस्वा व 3334/1530 रकवा 2 वीधा 2 विस्व पोखीराम 1/8 हिस्सा पर पुनः खातेदार दर्ज हो चुका है। उपरोक्त दोनो बयनामों के अनुसार प्रथम बयनामा के अनुसार पोखीराम लोधा के बजाय विधावती पत्नी भागीरथ के नाम एवं दूसरे बयनामा से विधावती के हिस्से पर लालसिंह पुत्र अजमेरसिंह लोधा के नाम दर्ज किया जाना उचित माना है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार धौलपुर ने अपने आदेश में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं रिकार्ड का परिक्षण किये बिना आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की यह अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है तथा प्रकरण तहसीलदार धौलपुर को प्रतिप्रेषित किया जाना किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्ट स्वीकार की तहसीलदार धौलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार धौलपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलान्ट के नाम विक्रय पत्रो के आधार पर जांच कर गुणावगुण के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार धौलपुर को भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर

न्यायालय जिला कलक्टर